भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *264
जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 अगस्त, 2024 को दिया जाना है

राज्य सभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण

***264. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा और विभिन्न राज्यों की विधान परिषदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का अब तक कोई प्रावधान किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का राज्य सभा और विधान सभाओं में उक्त श्रेणियों को आरक्षण देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *264, जिसका उत्तर तारीख 09 अगस्त ,2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : संविधान के अनुच्छेद 80 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि राज्य सभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा । तथापि, अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य सभा और विभिन्न राज्यों की विधान परिषद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) : राज्य सभा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त्, संविधान के अनुच्छेद 332 के अधीन, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें पहले से ही आरक्षित हैं।

****